-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना गिरवां क्षेत्र में वर्ष-2010 में 06 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2010 में थाना गिरवां क्षेत्र में 06 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहेवा में 06 वर्षीय बालक मातृदत्त उर्फ भोला पुत्र राजू दिनांक 09.08.2010 की शाम खेलते समय कहीं लापता हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी बाद में पिता की गुमशुदा के बाबा की तहरीर पर 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग मु0अ0सं0 116/10 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में विचारण के उपरांत न्यायालय द्वारा तीनों नामजद अभियुक्तों को वर्ष 2017 में बरी कर दिया गया था। गुमशुदा के पिता राजू द्वारा वर्ष 2019 में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बरी हुए लोगों की बजाय गांव के ही एक अन्य व्यक्ति रंगीलाल उर्फ भुर्जी पुत्र गिल्ला ने बच्चे का अपहरण किया था तथा उसकी हत्या कर शव को अपने घर के आँगन में गाड़ दिया है। प्रकरण में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रंगीलाल के आँगन की खुदाई में बच्चे का कंकाल बरामद हुआ जिसकी शिनाख्त बच्चे के माता-पिता द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना के उपरांत धारा 302/364/201 भादवि में विवेचक उ0नि0 अरविन्द कुमार द्वारा दिनांक 05.10.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोर्हरिर आरक्षी अमित राजपूत तथा पैरोकार आरक्षी सत्यजीत के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रंगीलाल भुर्जी पुत्र गिल्ला नि0 सहेवा थाना गिरवां जनपद बांदा।**